

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संलग्न एवं संलग्न कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय में आमने सामने ही किया जाये जे कि दिल्ली एवं प्रदक्षिणों के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर कृपया पूर्व में एक कारकूर हुवा हो तो एव कर्मांक एवं विवरण अलग लिखा जाये जिससे सुविधा हो।



आम : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2541496
(0751) 2442922
फैक्स : (0751) 2541764

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
कर्मचारी/क.सं.संख्या: 2012/ 5892

दिनांक: 15/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संलग्न आर्थिक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, मुंडार, ग्वालियर (0751-4036009) को सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संगठित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा.पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वाजी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत जिम्माबुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. विवेक नापट, आचार्य, समाजकार्य एवं अधीनस्थ शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442822)
- (2) डॉ. आर.जी. वर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीय विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, सट्टेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक रूपरेखा, प्राप्तिपूर्व संस्था से प्राप्त अनुसंधान/सहायता प्रमाण-पत्र, भवन, प्रीक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम आदिबिना तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्क की नियमितियों का प्रमाण एवं वेतन आवे के बारे में स्पष्ट विवरण अनुसंधान अंकित करें।

स्वाजी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पत्र क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उक्त के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्द्धवर्ष बना करकर नवीन समिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को सी.ए. / सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. संलग्न सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संगठित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावें की व्यवस्था करें।
3. आनुकूल उच्च शिक्षा, गतपूजा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)